नए एंटीबायोटिक हेतु प्रलोभन ज़रूरी है

दुनिया भर में पुरानी एंटीबायोटिक दवाइयों के खिलाफ प्रतिरोध विकसित होता जा रहा है और यह गहरी चिंता का विषय है। यदि आजकल प्रयुक्त एंटीबायोटिक दवाइयां अनुपयोगी हो जाती हैं तो हम छोटे-मोटी बीमारियों को भी नहीं संभाल पाएंगे। इसके अलावा सर्जरी का काम भी बाधित होगा क्योंकि सफल सर्जरी के लिए संक्रमण पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है।

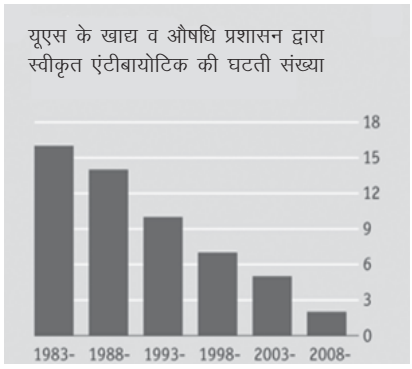

इस समस्या के संदर्भ में युनाइटेड किंगडम सरकार ने एंटीबायोटिक के सम्बंध में एक पैनल गठित की थी। पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नए एंटीबायोटिक विकसित करने और एंटीबायोटिक प्रतिरोध की समस्या से निपटने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण की ज़रूरत है। पैनल ने अनुमान लगाया है कि अगले 10 वर्षों में यदि 16 अरब डॉलर (करीब 1000 अरब रुपए) का निवेश किया जाए तो हमें 15 नए एंटीबायोटिक हासिल हो सकते हैं। इन नए एंटीबायोटिक्स में कुछ ऐसे भी होंगे जो आज तक उपयोग में लाए गए एंटीबायोटिक्स से एकदम भिन्न होंगे।

पैनल का मत है कि यह राशि बहुत बड़ी लग सकती है मगर हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया की वजह से दुनिया भर की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने वाला बोझ इससे कई गुना ज़्यादा है। इसी समिति ने पिछले वर्ष बताया था कि कंपनियां नए एंटीबायोटिक्स का विकास नहीं कर रही हैं क्योंकि इसमें मुनाफे की संभावना बहुत कम है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया की विभिन्न प्रयोगशालाओं में जिन 41 एंटीबायोटिक दवाइयों के विकास पर काम हो रहा है उनमें से मात्र 3 ऐसी हैं जो जन स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण 90 प्रतिशत बैक्टीरिया को मार सकती हैं। इनमें से एक भी अभी परीक्षण के स्तर तक नहीं पहुंची है।

पैनल का मत है कि सबसे पहला काम तो यह होना चाहिए कि एंटीबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल कम से कम और सोच समझकर किया जाए। एक बात यह भी है कि नए एंटीबायोटिक पुरानी दवाइयों का बाज़ार में मुकाबला नहीं कर पाएंगे क्योंकि पुरानी दवाइयों की पेटेंट अवधि समाप्त हो गई है और वे बहुत सस्ती हैं। और जब नई दवाइयां सस्ती होंगी तो इनका भी बेतहाशा उपयोग होने लगेगा और इसके कारण प्रतिरोध की समस्या पैदा हो जाएगी क्योंकि कंपनियों को तो इन्हें भारी मात्रा में बेचकर ही मुनाफा होता है।

पैनल ने इसके लिए सुझाव दिया है कि मुनाफे को बिक्री से जुदा कर दिया जाए। पैनल का मत है कि वैश्विक प्राधिकरण किसी भी कंपनी को तब एकमुश्त राशि का भुगतान कर देगा जब वह कोई नया एंटीबायोटिक बाज़ार में उतारती है और उसके बाद उस दवा की बिक्री पर नियंत्रण रखेगा। पैनल का अनुमान है कि इस तरह किसी दवा के बिक्री अधिकार खरीदने में 2-3 अरब डॉलर का खर्चा होगा। समिति के मुताबिक इससे अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। ***(स्रोत फीचर्स)***